PLFS Monthly Bulletin October 2026: India's Labour Force Participation Rate Rises to 55.7%



The **Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI)** released the **Periodic Labour Force Survey (PLFS) Monthly Bulletin for October 2026** on **16 November 2026**.

The report was prepared by the **National Statistics Office (NSO)** and provides important information about employment, unemployment and labour force participation in India. It is the **19th monthly bulletin** in the PLFS series.

According to the report, India's overall Labour Force Participation Rate (LFPR) for persons aged 15 years and above increased to **55.7%** in October 2026, compared to 55.5% in September 2026. The overall female LFPR also increased to **35.0%**. Meanwhile, the overall Unemployment Rate declined to **4.9%**.

The report highlights improvements in female labour force participation and rural employment indicators.

KEY HIGHLIGHTS

Key Highlights	Details
Important Event	Release of PLFS Monthly Bulletin, October 2026

Location	New Delhi, India
Related Institution	MoSPI and National Statistics Office (NSO)
Major Authority	Government of India
Release Date	**16 November 2026**
Bulletin Number	**19th Monthly Bulletin**
Overall LFPR	**55.7%**
Female LFPR	**35.0%**
Overall WPR	**53.0%**
Overall Unemployment Rate	**4.9%**
Rural LFPR	**58.4%**

RASonly

Important Facts

- **PLFS** is conducted by the National Statistics Office (NSO) under the Ministry of Statistics and Programme Implementation.
- The survey was launched in **April 2017**.
- The methodology was modified from **January 2025** to provide monthly and quarterly employment estimates.
- The monthly bulletin follows the **Current Weekly Status (CWS)** approach, which considers a reference period of the preceding seven days.
- India's overall female LFPR increased to **35.0%**, while rural female LFPR reached **39.5%**.
- The overall Worker Population Ratio (WPR) increased to **53.0%**, while the unemployment rate declined to **4.9%**.

Conclusion

The October 2026 PLFS report is an important indicator of India's employment situation and labour market performance. Improvements in female labour force participation and declining unemployment make this report particularly relevant for **SSC, RRB, Banking, UPSC, RPSC and State Government examinations**. Students should focus on the releasing organisation, report number, survey methodology and major statistical indicators.

Important MCQs

Q1. Which organisation conducts the Periodic Labour Force Survey (PLFS) in India?

A. RBI

B. National Statistics Office

C. NITI Aayog

D. SEBI

Answer: B

Q2. What was India's overall LFPR (15 years and above) in October 2026?

A. 50.5%

B. 53.0%

C. 55.7%

D. 58.4%

Answer: C

Q3. Which approach is used in the monthly PLFS bulletin?

A. Usual Status

B. Current Weekly Status

C. Census Method

D. Annual Employment Status

Answer: B

RASonly

PLFS मासिक बुलेटिन अक्टूबर 2026: भारत की श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 55.7% हुई

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 16 नवंबर 2026 को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) का अक्टूबर 2026 का मासिक बुलेटिन जारी किया।

यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय **(NSO)** द्वारा तैयार की गई है। इसमें भारत में रोजगार, बेरोजगारी और श्रम बल भागीदारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यह PLFS श्रृंखला का **19**वाँ मासिक बुलेटिन है।

रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2026 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की भारत की समग्र श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) बढ़कर **55.7%** हो गई, जबकि सितंबर 2026 में यह 55.5% थी। समग्र महिला श्रम बल भागीदारी दर भी बढ़कर **35.0%** हो गई। वहीं, समग्र बेरोजगारी दर घटकर **4.9%** रह गई।

यह रिपोर्ट महिला श्रम बल भागीदारी और ग्रामीण रोजगार संकेतकों में सुधार को दर्शाती है।

प्रमुख मुख्य बिंदु

प्रमुख बिंदु	विवरण
महत्वपूर्ण घटना	PLFS मासिक बुलेटिन, अक्टूबर 2026 का जारी होना
स्थान	नई दिल्ली, भारत
संबंधित संस्थान	MoSPI और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)
प्रमुख प्राधिकरण	भारत सरकार
जारी करने की तिथि	**16 नवंबर 2026**
बुलेटिन संख्या	**19**वाँ मासिक बुलेटिन
समग्र LFPR	**55.7%**
महिला LFPR	**35.0%**
समग्र WPR	**53.0%**

RASonly

समग्र बेरोजगारी दर	**4.9%**
ग्रामीण LFPR	**58.4%**

महत्वपूर्ण तथ्य

- **PLFS** का संचालन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया जाता है।
- इस सर्वेक्षण की शुरुआत अप्रैल **2017** में हुई थी।
- जनवरी 2025 से इसकी कार्यप्रणाली में बदलाव किया गया, ताकि मासिक और त्रैमासिक रोजगार अनुमान उपलब्ध कराए जा सकें।
- मासिक बुलेटिन में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति **(CWS)** पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसमें संदर्भ अवधि के रूप में पिछले सात दिनों को ध्यान में रखा जाता है।
- भारत की समग्र महिला LFPR बढ़कर **35.0%** हो गई, जबकि ग्रामीण महिला LFPR **39.5%** रही।
- समग्र श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) बढ़कर **53.0%** हो गया, जबकि बेरोजगारी दर घटकर **4.9%** रह गई।

निष्कर्ष

अक्टूबर 2026 की PLFS रिपोर्ट भारत में रोजगार की स्थिति और श्रम बाजार के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। महिला श्रम बल भागीदारी में सुधार और बेरोजगारी दर में गिरावट के कारण यह रिपोर्ट **SSC, RRB,** बैंकिंग**, UPSC, RPSC** और राज्य स्तरीय सरकारी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था, बुलेटिन संख्या, सर्वेक्षण पद्धति और प्रमुख सांख्यिकीय संकेतकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न **1.** भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण **(PLFS)** का संचालन कौन-सी संस्था करती है**?**

A. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

B. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)

C. नीति आयोग

D. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

उत्तर**: B.** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय **(NSO)**

प्रश्न **2.** अक्टूबर **2026** में भारत की समग्र **LFPR (15** वर्ष और उससे अधिक आयु**)** कितनी थी**?**

A. 50.5%

B. 53.0%

RASonly

C. 55.7%

D. 58.4%

उत्तर: **C. 55.7%**

प्रश्न **3. PLFS** के मासिक बुलेटिन में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है?

A. सामान्य स्थिति

B. वर्तमान साप्ताहिक स्थिति

C. जनगणना पद्धति

D. वार्षिक रोजगार स्थिति

उत्तर: **B.** वर्तमान साप्ताहिक स्थिति

Rajasthan Motor Vehicles Aggregator Scheme Rules, 2025



The Rajasthan Government introduced the Rajasthan Motor Vehicles Aggregator Scheme Rules, 2025, to regulate app-based transport services such as taxis, cabs, and other aggregator platforms. The rules aim to improve passenger safety, ensure transparency in fare pricing, protect driver welfare, and establish accountability among aggregator companies operating in Rajasthan.

Key Highlights

Key Highlights	Details
Important Event	Rajasthan Motor Vehicles Aggregator Scheme Rules, 2025
Location	Rajasthan
Concerned Authority	Transport & Road Safety Department, Rajasthan Government
Important Date	31 December 2025
Minimum Vehicle Requirement	25 motor vehicles
Licence Validity	5 years
Driver Health Insurance	Minimum ₹5 lakh
Accident/Term Insurance	Minimum ₹10 lakh
Driver's Fare Share	Minimum 80% for drivers onboarded along with their own vehicles and minimum 60% for drivers operating aggregator-owned vehicles.
Maximum Dynamic Pricing	2 times the base fare

Important Facts

- The rules were published in the Rajasthan Gazette on 31 December 2025.
- They are framed under the Motor Vehicles Act, 1988.
- They apply to aggregators, delivery service providers, and e-commerce entities operating with at least 25 motor vehicles.
- Aggregators are required to obtain a state license and appoint an office and compliance officer in Rajasthan.
- The license is valid for 5 years.
- Drivers are entitled to minimum health insurance of ₹5 lakh and accident/term insurance of ₹10 lakh.
- Dynamic pricing is capped at 2 times the base fare. Drivers onboarded along with their own vehicles must receive at least 80% of the fare, while drivers operating aggregator-owned vehicles must receive at least 60%.

RASonly

Conclusion

The Rajasthan Motor Vehicles Aggregator Scheme Rules, 2025, aim to make app-based transport services safer, more transparent, and better regulated. These rules strengthen passenger protection, driver welfare, fare regulation, and accountability of aggregator companies, making them important for Rajasthan's transport policy and governance.

MCQs

1. In which year were the Rajasthan Motor Vehicles Aggregator Scheme Rules introduced?

A) 2023
B) 2024
C) 2025
D) 2026
Answer: C) 2025

2. What minimum health insurance coverage is prescribed for drivers under the scheme?
A) ₹2 lakh
B) ₹3 lakh
C) ₹5 lakh
D) ₹10 lakh
Answer: C) ₹5 lakh

3. What is the maximum dynamic pricing allowed under the scheme?
A) 1.5 times the base fare
B) 2 times the base fare
C) 3 times the base fare
D) 4 times the base fare
Answer: B) 2 times the base fare

राजस्थान मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना नियम, 2025

राजस्थान सरकार ने टैक्सी, कैब और अन्य एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसी ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं को विनियमित करने के लिए राजस्थान मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना नियम, 2025, लागू किए। इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा में सुधार करना, किराया निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ड्राइवरों के कल्याण की रक्षा करना तथा राजस्थान में संचालित एग्रीगेटर कंपनियों की जवाबदेही तय करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

प्रमुख विशेषताएँ	विवरण
महत्वपूर्ण घटना	राजस्थान मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना नियम, 2025
स्थान	राजस्थान
संबंधित प्राधिकरण	परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार
महत्वपूर्ण तिथि	31 दिसंबर 2025
न्यूनतम वाहन आवश्यकता	25 मोटर वाहन
लाइसेंस की वैधता	5 वर्ष
ड्राइवर स्वास्थ्य बीमा	न्यूनतम ₹5 लाख
दुर्घटना/टर्म बीमा	न्यूनतम ₹10 लाख
ड्राइवर का किराया हिस्सा	अपने स्वयं के वाहन के साथ जुड़े ड्राइवरों के लिए न्यूनतम 80% और एग्रीगेटर के स्वामित्व वाले वाहनों का संचालन करने वाले ड्राइवरों के लिए न्यूनतम 60% निर्धारित किया गया है।
अधिकतम डायनेमिक प्राइसिंग	बेस किराये का 2 गुना

RASonly

महत्वपूर्ण तथ्य

- इन नियमों को 31 दिसंबर 2025 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
- ये नियम मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बनाए गए हैं।
- ये नियम कम से कम 25 मोटर वाहनों के साथ संचालित एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स संस्थाओं पर लागू होते हैं।
- एग्रीगेटर्स के लिए राज्य लाइसेंस प्राप्त करना तथा राजस्थान में कार्यालय और अनुपालन अधिकारी (Compliance Officer) नियुक्त करना अनिवार्य है।
- लाइसेंस की वैधता 5 वर्ष है।
- ड्राइवरों को न्यूनतम ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा और ₹10 लाख का दुर्घटना/टर्म बीमा प्रदान किया जाएगा।
- गतिशील किराया आधार किराये के अधिकतम 2 गुना तक सीमित है तथा अपने वाहन वाले ड्राइवरों को किराये का न्यूनतम 80% और एग्रीगेटर के वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को न्यूनतम 60% हिस्सा प्राप्त होगा।

निष्कर्ष

राजस्थान मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना नियम, 2025 का उद्देश्य ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और बेहतर ढंग से विनियमित करना है। ये नियम यात्रियों की सुरक्षा, ड्राइवरों के कल्याण, किराया विनियमन और एग्रीगेटर कंपनियों की जवाबदेही को मजबूत करते हैं, जिससे ये राजस्थान की परिवहन नीति और सुशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना नियम किस वर्ष लागू किए गए**?**
A) 2023
B) 2024
C) 2025
D) 2026
उत्तर**: C) 2025**

2. इस योजना के अंतर्गत ड्राइवरों के लिए न्यूनतम स्वास्थ्य बीमा कवरेज कितना निर्धारित किया गया है**?**
A) ₹2 लाख
B) ₹3 लाख
C) ₹5 लाख
D) ₹10 लाख
उत्तर**: C) ₹5** लाख

3. इस योजना के अंतर्गत अधिकतम डायनेमिक प्राइसिंग कितनी अनुमत है**?**
A) बेस किराये का 1.5 गुना
B) बेस किराये का 2 गुना
C) बेस किराये का 3 गुना
D) बेस किराये का 4 गुना
उत्तर**: B)** बेस किराये का **2** गुना

RASonly